राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

"वित भवन" जनपथ, जयपुर–302015
(दूरभाष 0141–2740735, फैक्स 0141–2742309, ई–मेल jdp-ta-rj@nic.in)

क्रमांक:– एफ.3(ख)/(डी–92/2011)/अलेसे–II/ 1075 दिनांक:– 27-8-18

कार्यालय आदेश

श्री धर्मचन्द मीणा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II (निलंबित) के विरूद्ध जवारमाईन्स पुलिस थाना, जिला उदयपुर में धारा 306 आई.पी.सी. में मुकदमा संख्या 101/ 2016 दिनांक 16.11.2016 दर्ज होने के परिणामस्वरूप दिनांक 21.11.2016 को मध्याह्न पश्चात् 04:00 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। श्री धर्मचन्द मीणा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II 48 घण्टे से अधिक पुलिस हिरासत में रहने के कारण राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील), नियम 1958 के नियम 13(2) के अन्तर्गत निदेशालय के आदेशक्रमांक 1535 दिनांक 05.12.2016 द्वारा दिनांक 21.11.2016 को निलंबित कर मुख्यालय कोषालय (शहर), उदयपुर किया गया। श्री मीणा ने दिनांक 21.02.2018 को निर्वाह भत्ता बढाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रेषित किया है तथा कोषाधिकारी उदयपुर ने अपने पत्रांक 1160–61 दिनांक 04.05.2018 द्वारा निर्वाह भत्ते में नियमानुसार वृद्धि हेतु लिखा है।

थानाधिकारी, पुलिस थाना जावरमाईन्स जिला उदयपुर ने अपने पत्रक्रमांक 1852 दिनांक 10.05.2018 द्वारा निदेशलय को अवगत कराया है कि प्रकरण संख्या 101/2016 में आरोपी श्री धर्मचन्द मीणा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II (निलंबित) कार्यालय कोषालय (शहर) उदयपुर के विरूद्ध दिनांक 13.01.2017 को चालान कटाकर सी.जे. एण्ड जे. एम. कोर्ट सराडा में पेश किया जा चुका है। चूंकि निलम्बन अवधि में वृद्धि के लिए श्री मीणा प्रत्यक्ष रूप से दोषी नहीं है तथा इन्हें निलंबित हुए 6 माह से अधिक की अवधि पूर्ण हो चुकी है। अतः राजस्थान सेवा नियमों के नियम 53 (1) के अनुसरण में श्री धर्मचन्द मीणा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II (निल) को दिये जा रहे निर्वाह भत्ते में दिनांक 21.05.2017 से 50 प्रतिशत की अभि–वृद्धि किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक:– एफ.3(ख)/(डी–92/2011)/अलेसे–II/ 1075 दिनांक:– 27-8-18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. थानाधिकारी, पुलिस थाना जावरमाईन्स जिला उदयपुर।
2. कोषाधिकारी (शहर), उदयपुर।
3. श्री धर्मचन्द मीणा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II (निल), मुख्यालय, कोष कार्यालय (शहर), उदयपुर।
4. अतिरिक्त निजि सचिव, निदेशक महोदय।
5. कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. निजी/पदस्थापन सीट/एसीपी सीट/जांच शाखा/रक्षित पत्रावली।

(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–II)